[19/12/2022]
परि-1

मध्यप्रदेश शासन

प्रश्न सं. [क. 1481] स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय

वल्लभ भवन भोपाल .462004

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 03.10.2018

एफ क्र-44-13/2018/20-2 राज्य शासन एतद् द्वारा प्रदेश की शासकीय शालाओं में अध्यापन कार्य के लिए प्रभावशील अतिथि शिक्षक व्यवस्था अन्तर्गत अतिथि शिक्षकों के निम्नानुसार मानदेय की दरें स्वीकृति की जाती है

स.क्र.	अतिथि शिक्षक की श्रेणी	प्रति काल खण्ड दर	मानदेय की अधिकतम मासिक सीमा
1	2	3	4
1	अतिथि शिक्षक वर्ग-1	90	9000
2	अतिथि शिक्षक वर्ग-2	75	7000
3	अतिथि शिक्षक वर्ग-3	50	5000

2. मानदेय की उक्त दरें दिनांक 01.08.2018 से लागू होंगी ।
3. अतिथि शिक्षकों द्वारा न्यूनतम 03 कालखण्ड प्रति दिवस कार्य करना अनिवार्य होगा ।
4. अतिथि शिक्षकों के मानदेय पर होने वाला व्यय लेखा शीर्ष 40-2202 (02) - (109) -(घ) - 0701-अतिथि शिक्षकों का मानदेय के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।
5. यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ.नोट क्रमांक 713/आर/951/ब-3/चार/2018 दिनांक 29-9-2018 द्वारा दी गई सहमति के अनुक्रम में जारी किया गया है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

3/10/18
(प्रमोद सिंह)
उप सचिव,
म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक / /2018

पृ.क्र.44–13/2018/20–2
प्रतिलिपि :–

1. माननीय स्कूल शिक्षा मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी, के विशेष सहायक।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन,जनजातीय कार्य विभागा विभाग।
4. महालेखाकार, ग्वालियर म0प्र0 ।
5. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय,मध्यप्रदेश भोपाल ।
6. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र,मध्यप्रदेश भोपाल ।
8. समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश।
9. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मध्यप्रदेश।
10. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
11. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
12. समस्त जिला कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

13. आर्डर बुक।

3/10/18
उप सचिव
म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग

// तेखीराम/
/ 03102018

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पेरा-2

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर भोपाल–462021
दूरभाष–0755–2600124, ई–मेल dpi.atithi@gmail.com

क्रमांक / समग्र शिक्षा / अतिथि शिक्षक / 2020 / 3130 भोपाल, दिनांक 9/12/2020

प्रति

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी।
3. समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी।
4. समस्त संकुल प्राचार्य, प्राचार्य हाई / हायर सेकेण्डरी स्कूल मध्यप्रदेश।

विषयः– हाई / हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में रिक्त पदों के विरूद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था।
संदर्भः–संचालनालय का पत्र क्र / 3080 दिनांक 28.11.2020।

उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा सत्र 2020–21 के लिये अतिथि शिक्षक आमंत्रित करने के निर्देश दिये गये है। वर्तमान में कोविड–19 के संक्रमण की स्थिति में विद्यार्थियों की शतप्रतिशत उपस्थिति न होने तथा प्रत्येक विषय के एक शिक्षक की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रत्येक विषय के स्वीकृत पद के विरूद्ध अधिकतम एक अतिथि शिक्षक आमंत्रित करने हेतु पद प्रदर्शित किये गये हैं।

2. जिन विद्यालयों में कुल नामांकन (कक्षा 9–12) के विरूद्ध लगातार एक सप्ताह तक औसत उपस्थिति 80% या इससे अधिक होने की स्थिति में विद्यालय की स्वीकृत पदसंरचना अनुसार रिक्त पद हेतु अतिथि शिक्षकों की मांग संलग्न प्रारूप में विमर्श पोर्टल पर अपलोड करने के उपरांत अतिरिक्त अतिथि शिक्षक की अनुमति प्रदान की जा सकेगी। राज्य स्तर से अनुमति प्राप्त होने तथा विमर्श पोर्टल पर प्रदर्शित अतिरिक्त रिक्ति के विरूद्ध ही अतिथि शिक्षक रखा जाए अन्यथा संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
3. आमंत्रित किये गये अतिथि शिक्षकों की ऑनलाईन ज्वाईनिंग की व्यवस्था शीघ्र ही GFMS पोर्टल पर उपलब्ध कराई जा रही है। ज्वाईनिंग हेतु अतिथि शिक्षक के पास जीवित स्कोर कार्ड एवं विमर्श पोर्टल पर रिक्ति होना चाहिए।
4. एक परिसर एक शाला (EPES) के अंतर्गत संचालित हाईस्कूल / हायर सेकेण्डरी में प्राथमिक एवं माध्यमिक के शिक्षकों से उनके विषय के अनुसार अकादमिक कार्य लिया जाए। प्राचार्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए, कि शाला में पदस्थ समस्त शैक्षणिक अमले एवं अतिथि शिक्षक द्वारा अध्यापन कार्य किया जाए जिससे कि वार्षिक परीक्षा के पूर्व निर्धारित कोर्स पूर्ण किया जा सके।
5. रिक्त पदों की स्थिति नवम्बर 2019 में विमर्श पोर्टल पर प्राचार्यो द्वारा दर्ज जानकारी के आधार पर प्रदर्शित की गई है। स्थानांतरण / सेवानिवृत / अन्य कारण से किसी विषय में रिक्ति होने की स्थिति में प्राचार्य dpi.atithi2021@gmail.com पर ई–मेल करे। ई–मेल करने के पूर्व पेरा–1 के निर्देशों का ध्यान रखा जाए। इस हेतु विमर्श पोर्टल पर Online Request सबमिट करने की व्यवस्था भी प्रारंभ की जाएगी।
6. मानदेय गणना की दृष्टि से अतिथि शिक्षकों का मानदेय कालखण्ड के मान से निर्धारित है किन्तु यह अर्न्तनिहित है, कि अतिथि शिक्षकों को शाला समय में उपस्थित रहना होगा तथा विषय के अध्यापन के अतिरिक्त अन्य अकादमिक कार्य यथा मूल्यांकन, प्रायोगिक कार्य, परीक्षा ड्यूटी इत्यादि भी करना होगा।
7. ऐसी शालाएं जहाँ विषयमान से अतिथि शिक्षक उपलब्ध न हों वहाँ संकुल / विकासखण्ड की माध्यमिक शाला के शिक्षकों की संबद्धता से अध्यापन कार्य कराया जाए।

उक्त निर्देशो के अनुसार कार्यवाही करते हुये जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक विद्यालय में विषयमान से नियमित शिक्षक / अतिथि शिक्षक / माध्यमिक शाला के शिक्षक दिनांक 31 दिसम्बर 2020 तक उपलब्ध हो जाए तदुपरांत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें, कि प्रत्येक विद्यालय में विषयमान से शिक्षक उपलब्ध करा दिये गये है।

(जयश्री कियावत)
आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश

(आर. के. त्रिवेदी)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग